FORM No. III Crim - 1

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0)

नवजोत सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी धौलपुर

किस्म मुकदमा प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मुकदमा नम्बर 05 / 2021
(जीसीएमएस न0 2021 / 7)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
07-07-2021	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी धौलपुर के पत्र कमांक सू0अधि02005 / 2021 / 456 दिनांक 23.3.2021 के जरिये टिप्पणी / रिपोर्ट प्राप्त हुई।लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई, सूचना के सम्बध में रिकार्ड को तलाशा गया। तलाशी के दौरान पत्रावली संख्या 09 / 1997 नाम आवेदक गनेशीलाल पुत्र लालाराम राजस्व ग्राम महमदपुर खसरा नम्बर 580 / 1149 निर्णय दिनांक 31.05.1997 किता–27 का जिला अभिलेखागार कलैक्ट्रेट धौलपुर में जमा होना पाया गया। प्रार्थी के आवेदन से सम्बधित अन्य कोई रिकार्ड इस कार्यालय में नहीं पाया गया जिसकी सूचना प्रार्थी / आवेदक को कार्यालय के पत्रांक 322 दिनांक 26.2. 2021 से भिजवाई जा चुकी है। प्रार्थी को सूचना के संबध में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर रिकार्ड का अवलोकन करने हेतु सूचित कर दिया गया है। आवेदक तत्पश्चात कार्यालय में रिकार्ड के अवलोकन हेतु उपस्थित नहीं हुऐ है। अतः अपील निरस्त फरमाई जावे। हमने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा उक्त प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर ने पत्र कमांक 322 दिनांक 26.2.2021 के द्वारा प्रार्थी को सूचना के	

संबध में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर रिकार्ड का अवलोकन करने हेतु सूचित कर दिया गया है। आवेदक तत्पश्चात कार्यालय में रिकार्ड के अवलोकन हेतु उपस्थित नहीं हुऐ है। अतः आवेदक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में चाही गई सूचना के सम्बध में उपस्थित होकर नियमानुसार शुल्क जमा कराकर रिकार्ड का अवलोकन कर सकते है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।

नरेन्द्र के0 वर्मा
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर